तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता… अहकाम जो… हुक्म की त… में जारी
2417124	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रा० पत्र एवं प्रा० पत्र के साथ पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन, जिला –भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री विष्णु बंसल(आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र कमांकः–07 / 2023
1.गंगाधर पुत्र झम्मन जाति ब्राह्मण निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

................प्रार्थी

बनाम

1.तहसीलदार तहसील उच्चैन,जिला भरतपुर राज0।

...............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 एल.आर.ए.

उपस्थितिः–श्री गिरधर छावडी एडवोकेट

निर्णय — निर्णय दिनांक :- 22/07/2024

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल.आर.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नंबर 1646 / 0.31 बाके ग्राम कुरका तहसील उच्चैन में स्थित है। प्रार्थी की आराजी का मौके पर कुल रकबा कम होने के अंदेशा पर प्रार्थी ने उक्त रकबा की तहसीलदार उच्चैन के यहां उक्त खसरा नंबर 1646 / 0.31 की पैमाइश के लिए तहसीलदार उच्चैन के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संबंध में उक्त आराजी खसरा नंबर की पैमाइश और मौके पर उपस्थित काश्तगारों की मौजूदगी में उक्त खसरा नंबर की नाप कर खसरा नंबर 1646 / 0.31 को पूरा किया गया और मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी खसरा नंबर 1646 / 0.31 बाके ग्राम कुरका तहसील उच्चैन की चारों दिशाओं का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा मौका पर्चा ग्राम कुरका की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की है जो कि पत्रावली के साथ संलग्न है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 111,128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने पूर्व में भी तहसीलदार उच्चैन को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर तहसीलदार उच्चैन ने हल्का पटवारी को सीमाज्ञान के लिए आदेशित किया था। जिसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा विवादित जायदाद की दिनांक 16.06.2023 को पैमाइश की जा चुकी है।

वकील प्रार्थी की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर गौर किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार तहसील उच्चैन को आदेशित किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नंबर 1646 / 0.31 वाके ग्राम कुरका तहसील उच्चैन का सीमाज्ञान करावें तथा प्रार्थीगण के खर्चे पर पत्थरगढी करावें। इस बाबत् अप्रार्थी तहसीलदार तहसील उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विष्णु बंसल)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन, भरतपुर